भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1318
(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2019 /04 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है)

अग्रिम कर भुगतान

1318. श्री के॰ षणमुग सुंदरमः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में केवल शीर्ष की 500 कॉर्पोरेट अपने कुल बकाया कर का 70 प्रतिशत कर अग्रिम में भुगतान करते हैं;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अग्रिम कर की कुल कितनी राशि का लक्ष्य था और कितना कर संगृहित किया गया; और
(ग) सरकार द्वारा कंपनियों द्वारा शेष अग्रिम कर जिसका भुगतान नहीं किया गया है के संग्रहण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी हां, वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा मौजूदा वित्त वर्ष में 16.11.2019 तक के अग्रिम करों का संग्रहण दर्शाता है कि इन वित्तीय वर्षों में, शीर्ष 500 कॉरपोरेट ने संग्रहित कुल कॉरपोरेट अग्रिम करों के लगभग 70% का भुगतान किया।

(ख): अग्रिम करों के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं हैं। यद्यपि वित्तीय वर्ष के लिए निगम कर के लिए लक्ष्य हैं। पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कॉरपोरेट्स के साथ-साथ शीर्ष 500 कर कॉरपोरेटों से संग्रहित कुल अग्रिम कर का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	संग्रहित कुल कॉरपोरेट अग्रिम कर (करोड़ रू.में)	शीर्ष 500 कॉरपोरेट द्वारा अदा किया गया अग्रिम कर(करोड़ रू.में)	कुल कॉरपोरेट अग्रिम कर में से शीर्ष 500 कॉरपोरेट द्वारा अदा किए गए कर का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	334136	239685	71.3
2017-18	366980	254550	69.4
2018-19	416209	288860	69.4
2019-20*	183470	131929	71.9

*16.11.2019 तक
**स्रोत: प्रणाली निदेशालय

(ग): कम्पनियों द्वारा अग्रिम कर भुगतान तथा संग्रहण की संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है तथा समय-समय पर वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईआर), आसूचना तथा आपराधिक जांच (आई तथा सीआई) तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध सूचना का प्रयोग अग्रिम कर मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। एसएमएस सहित मल्टिमीडिया अभियान का प्रयोग करदाताओं को अग्रिम कर भुगतान के अनुपालन के संबंध में सुग्राही बनाने के लिए किया जाता है।

****